फर्द अहकाम

बद्रीप्रसाद बनाम सन्तोष देवी वगै0

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

सं0 146 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24.06.2024	अधिवक्ता श्री चन्दन सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट सरिश्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद कराने तथा विवादग्रस्त भूमि का बेचान नहीं करने, प्रार्थी के कब्जे–काश्त, उपयोग–उपभोग तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखने हेतु निवेदन किया गया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी को एकपक्षीय सुना व प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं शपथ पत्र प्रार्थी से संतुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 1539 रकबा 1.5806 हे0 वाकै ग्राम माच्छरखानी तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0 कि विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के कब्जे–काश्त, उपयोग–उपभोग में मजाहमत नहीं करे, बिना विधिवत विभाजन कराये बेचान नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखें। अप्रार्थीगण को इस बाबत कोई उज्र एतराज हो तो असालतन वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि0 एडी0 नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.07.2024 को पेश हो। [signature]	
22/7/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/7/24 को पेश हो। [signature]	Nabo Pry [illegible]
25/7/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी/वादी द्वारा मुकदमा [illegible] Not Press किया जाने से [illegible] [illegible] खारिज किया जा चुका है। प्रकरण को Not Press किया है।	

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :–**उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर**

केस सं.   /202.......

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		अतः प्रकरण को Not Press किया जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर